अपील संख्या/10/2020 **न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर**

मांगीलाल पुत्र प्रभू दयाल जाति ब्राहम्ण निवासी करही तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1—सोहनलाल
2—सतीश } पुत्रगण प्रभूदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी करही तहसील नदबई जिला भरतपुर
3—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

.....रेस्पो.

अपील अन्तर्गत 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 1044 दिनांक 24.6.2020 नायव तहसीलदार लखनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर

उपस्थित :—
1—श्री कृष्णकुमार सिघंल अभिभाषक अपीलान्ट
2—श्री पुरुषोत्तम मुदगल रेस्पो.

निर्णय **दिनांक 20.3.2024**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो व खिलाफ आदेश नायव तहसीलदार लखनपुर बाबत नामान्तकरण संख्या 1044 दिनांक 24.6.2020 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1044 पक्षकारान के मध्य आराजी के विभाजन का दर्ज किया जाकर नायव तहसीलदार लखनपुर तहसील नदबई द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसके खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 2.9.2020 को इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पो. की तलबी की गई। रेस्पो. की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि पक्षकारान के मध्य किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने विभाजन के लिये अपनी कोई सहमति नहीं दी है क्यों कि पक्षकारान के मध्य एक नियमित वाद सहायक कलक्टर नदबई के न्यायालय में

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

विचाराधीन है। नियमित वाद पक्षकारान उपस्थित होकर विधिवत पैरवी कर रहे हैं। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट व रेस्पो. के कब्जे की बाबत कोई जांच रिपोर्ट हल्का पटवारी से नहीं ली है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.6.2020 की कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। रेस्पो. संख्या 1 ने दिनांक 3.8.2020 को जबरन अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 1778 पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी गई तब जाकर इस बात का ज्ञान हुआ है। जानकारी होने की दिनांक से अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। योग्य अभिभाषक ने यह भी बताया कि मिलीभगत कर क्रेडिट कार्ड के बहाने कोरे कागजों पर विभाजन सहमति के हस्ताक्षर कराकर आदेश जैर अपील पारित करा लिये गये हैं जो काबिल खारिज के रहते हैं। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

योग्य अभिभाषक रेस्पो. का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति के आधार पर विभाजन कराया है। विभाजन के आधार पर विवादित नामान्तकरण दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है जिसमें नायव तहसीलदार द्वारा कोई गलती नहीं की गई। योग्य अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1044 जिस मूल आदेश बटवारा दिनांक 18.7.2019 तहसीलदार नदबई के विरुद्ध पूर्व में ही अपील पेश कर चुका है जिस पर श्रीमान न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.7.2022 द्वारा तहसीलदार नदबई के मूल आदेश बटवारा दिनांक 18.7.2019 को निरस्त किया जा चुका है, श्रीमान के आदेश दिनांक 12.7.2022 की निगरानी अपीलान्ट सोहनलाल वगे. ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में कर रखी है जो विचाराधीन है। अतः नामान्तकरण के खिलाफ अपील चलने योग्य नहीं है। अपील म्याद बाहर पेश की गई है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया गया। प्रथमतः हमने प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। जैसा कि आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में प्रतिपादित किया है कि :—

Limitation Act, 1963, S.5 - Dismissal of appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case - Legality of-Held, now it must be taken as well settled Principal of law that before rejecting applications u/s 5, and dismissing appeals as time-barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeal and unless appeals are found to be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits. (Para 19)

आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :—

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

(A) " Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नज़ीरों को मध्यनजर रखते हुये अपील को अन्दर म्याद मानते हुये। अपील की मैरिट पर विचार किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1044 का अवलोकन किया गया, यह नामान्तकरण पक्षकारान के मध्य आराजी के विभाजन का दर्ज कर स्वीकार किया गया है। अपीलाधीन नामान्तकरण में अंकित रिपोर्ट जो इस प्रकार है :–

> ".....मुता. आदेश श्रीमान टी.डी.आर (भू.अ.)तहसीलदार नदबई कमांक एल/13/3570 दिनांक 18.7.19 की पालना में नामा. दर्ज कर वास्ते जॉच नामा. पेश है.....।"

उक्त अंकन से यह स्पष्ट है कि विचाराधीन अपील नामान्तकरण संख्या 1044 दिनांक 24.6.2020 तहसीलदार नदबई के न्यायालय में पक्षकारान के मध्य हुये बटवारा आदेश दिनांक 18.7.2019 की पालना में भरा जाकर स्वीकार किया गया है। जिस आदेश दिनांक 18.7.2019 से यह नामान्तकरण खोला जाकर स्वीकार किया गया है उस आदेश दिनांक 18.7.2019 के खिलाफ अपील अपीलान्ट मांगीलाल ने इस न्यायालय में दिनांक 3.9.2020 को पेश की थी जो कि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.7.2022 से तहसीलदार नदबई के आदेश 18–7–2019 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को रिमान्ड किया गया था।

योग्य अभिभाषक रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत नकल निर्णय दिनांक 12.7.2022 अपील संख्या 09/2020 उनवानी मांगीलाल बनाम सोहनलाल वगे. न्यायालय जिला कलेक्टर भरतपुर एवं न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर निगरानी टीए/5173/2022 जिला भरतपुर उनवानी सोहनलाल वगे. बनाम मांगीलाल वगे. की आर्डरसीट की प्रति वगे. पेश की गई हैं का अवलोकन किया गया।

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर की सत्यप्रतिलिपि निगरानी/टीए/5173/2022 जिला भरतपुर उनवानी सोहनलाल वगै0 बनाम मॉगीलाल वगै0 के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी सोहनलाल वगे. ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12.7.2022 के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी की गई है, यह निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है, जिसमें माननीय राजस्व मण्डलन अजमेर द्वारा निर्णय लिया जाना है। विचाराधीन अपील नामान्तकरण 1044 भी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन निगरानी (आदेश) का ही पार्ट है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी में जो भी निर्णय लिया जावेगा उससे यह अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1044 भी प्रभावित होगा। ऐसी स्थिति में पक्षकारान के मध्य वादबाहुलता ना बड़े हम यह उचित पाते हैं कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन निगरानी के परिप्रेक्ष्य में यह अपील इसी स्टेज पर खारिज की जावे।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, पक्षकारान माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन निगरानी के निर्णायानुसार कार्यवाही करने को स्वतन्त्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 20.3.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डा.अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर